# श्री गोविन्दराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, इन्दौर

पोमेछा / 2025–26 / 1462

दिनांक 12/01/2026

12 JAN 2026

## आवश्यक सूचना

विषय :– वर्ष 2025–26 हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के नवीन (New) के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन आवश्यक दस्तावेजो सहित जमा करने बाबद।

अनुसूचति जाति/ जनजाति के नवीनीकरण के विद्यार्थियो को सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक 2025–26 मे जमा किये शिक्षण शुल्क की वापसी चाहते है, राज्य शासन द्वारा सीधे विद्यार्थियो के बैंक खाते में जमा की जावेगी, इस हेतु बैंक खाते को आधार NPCI व DBT से लिंक कराना आवश्यक है।

A) विद्यार्थियो के माता पिता की वार्षिक आय के अनुसार शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति के नियम निम्नानुसार है :–

| क | वर्ग | माता/पिता की वार्षिक आय | छात्रवृत्ति व शिक्षण शुल्क हेतु पात्रता |
|---|---|---|---|
| 1 | अनुसूचित जाति /जनजाति | रु 2,50,000/– तक | छात्रवृत्ति व शिक्षण, अन्य शुल्क आदि नियमानुसार |
| 2 | अनुसूचित जाति /जनजाति | रु 2,50,001/– से अधिक में आय का बंधन नही | केवल शिक्षण, अन्य शुल्क आदि नियमानुसार |

B) पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑन लाईन आवेदन फार्म आदिम जाति कल्याण विभाग की वेबसाईट www.mptaasc पर ऑन–लाईन आवेदन जमा करना अनिवार्य है, जिसकी हार्ड कापी निम्नलिखित दस्तावेजो सहित पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति में **दिनांक 10/02/2026** तक जमा करे, जिसके अभाव में छात्रो को शिक्षण शुल्क इत्यादि कि प्रतिपूर्ति की पात्रता नही रहेगी।

C) अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियो के आवेदन स्वीकृती हेतु आदिवासी विकास कल्याण (आदिम जाति कल्याण विभाग) इन्दौर को प्रस्ताव स्वीकृत हेतु भेजा जावेगा। इस हेतु आवेदन के साथ में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करे :–

1) एडमिशन स्लीप/चालान/अलॉटमेन्ट लेटर की छाया प्रति संलग्न करे।
2) उत्तीर्ण अंक सूची :– विगत दो वर्षो की अंक सूची की फोटो कापी
3) स्थायी जाति प्रमाण पत्र :– एस.डी.एम. द्वारा जारी ही मान्य। 4) मूल निवासी प्रमाण पत्र।
5) अनुसूचति जाति/जनजाति के विद्यार्थियो के आय प्रमाण पत्र हेतु
   अ) तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र। ब) शासकीय सेवक हो तो नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र जिसमें समस्त प्रकार के वेतन, भत्ते, मूल वेतन, महंगाई भत्ता आदि शामिल हो, वर्ष 2024–25 का नियोक्ता द्वारा जारी फार्म 16 ए। अगर माता पिता दोनो कार्यरत हे तो दोनो का अलग–अलग फार्म 16 ए प्रमाण पत्र।
6) बैंक खाता नम्बर की पास बुक की फोटो कापी जो आधार कार्ड व NPCI व DBT से लिंक हो।
7) हितग्रही प्रोफाईल पंजीयन की प्रति। 8) आधार कार्ड व समग्र आय.डी. कि प्रतिलिपि।
8) समस्त विद्यार्थियो की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति अनिवार्य है इसके अभाव में विद्यार्थियो को छात्रवृत्ति व शिक्षण शुल्क इत्यादि का भुगतान संभव नही है।

**उल्लेखनिय है कि राज्य शासन द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत अनुसूचित जाति/ जनजाति के विद्यार्थियो की पालक की वार्षिक आय का बंधन समाप्त कर दिय गया अतः अनुसूचित जाति/जनजाति के सभी विद्यार्थी इस का लाभ ले सकते है। राज्य शासन द्वारा शिक्षण शुल्क इत्यादि की प्रतिपूर्ति न करने या कम होने पर अंतर राशि संबधित विद्यार्थियो द्वारा वहन की जावेगी।**

निदेशक

DIRECTOR
Shri G. S. Instt. of Tech. & Sc.
INDORE - 452003 (M.P.)

प्रतिलिपि :– 1) समस्त नोटिस बोर्ड/होस्टल।
2) संस्थान की वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।

नोटः– अधिक जानकारी हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कार्यालय में आकर में संपर्क करे ।)